न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर,
जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

/2025 जीसीएमएस : 2025/00163
देवी पत्नि गोपाल राम जाति मेधवाल निवासी 11 टी के तहसील रायसिंहनगर
श्री गंगानगर।

–:वादीया

बनाम

जी राम पुत्र धन्ना राम जाति मेधवाल निवासी 11 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर राज0।
टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:प्रतिवादीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत 136 राज0 काश्त0 अधि0</u>

अधिवक्तागण
श्री जितेन्द्र कुमार सोनी अधि. वादी।
श्री धवेन्द्र सिहं अधिवक्ता प्रतिवादी ।

–:<u>निर्णय</u>:– दिनांक :–19.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया पुष्पादेवी पत्नि गोपाल राम जाति मेधवाल निवासी 11 टी के तहसील
ंनगर ने अन्तर्गत धारा 136 राज.काश्त.अधि. के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 32 एन पी के प.
/308 मु.न. 78 के कि.न. 16/1 , 17/1, 18/1, 19/1, प्रत्येक में 0.1740 व 20/1 में 0.1730 , 21/1 ,
, 23/1 प्रत्येक में 0.0300, 24/1 में 0.0290 , 25/1में 0.0040 नहरी भूमि है। इसी चक में प्रतिवादी रजीराम की
1/3 में 0.0130 खाला व 2/3 में 0.0120 खाला, 3/3 में 0.0130 खाला ,4/3 में 0.0120 , खाला, 5/3 में 0.
1/1,12/1,13/1,14/1 प्रत्येक में 0.0790, 20/2 में 0.0800है. भूमि है। वादीया पुष्पादेवी के नाम 21/1,
23/1, 24/1 प्रत्येक में .030 , 25/1में.004 , रकबा भूमि है। इस किला जात के उत्तरी पासा में चिपती भूमि
16/1, 17/1, 18/1, 19/1 में .174 है. व 20/1 में .173 है.भूमि है। मौका पर मुझ मिकरा का 10–15 वर्षो से
लाजात पर कब्जा चला आ रहा है। ऑनलाईन तरमीम दर्ज करवाते वक्त पटवारी हल्का द्वारा सहबन से उक्त
की तरसीम गलत दर्शा दी गई है। काश्तकार रजीराम पुत्र धन्नाराम के नाम का रकबा कि.न. 16/2 में .054 ,
में .079 , 18/2 में .079, 19/2 में .079 ,व 20/2 में .080 के रकबा की तरमीम मेरे नाम से उक्त रकबा में दर्शा
है जिस हेतु दुरूस्त करवाना चाहती है। पटवारी हल्का द्वारा जा तरसीम की गई वो गल्त दर्शा दी गई है मेरे
काश्त के अनुसार मेरे नाम के रकबा के मध्य में जो अप्रार्थी रजीराम का रकबा दर्शाया गया है, उसके स्थान पर
मे मेरा रकबा दर्शाने के आदेश प्रदान किया जाये ओर इस आश्य का संशोधन तरमीम में करवाना चाहती है। उक्त
न करवाने के लिए प्रतिवादी से पचायंत दिनांक 25.4.2025 को की थी लेकिन प्रतिवादी ने संशोधित करवाने से मना
या इसलिए मुझे यह वाद पेश करना पड़ा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि काश्तकार रजीराम पुत्र
म के नाम रकबा कि.न. 16/2 में .054, 17/2 में .079, 18/2 में .079, 19/2 में .079 ,व 20/2 में .080 के
की तरमीम मेरे नाम से उक्त रकबा में दर्शा दी गई है उसे दुरूस्त करते हुये जो रजीराम के नाम से मेरे रकबा के
रमीम करवाई है उसे दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जावे।

वादीया के द्वारा वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजि. सम्मन तलब किया
प्रतिवादी सं. 1 ओर से श्री धवेन्द्र सिहं अधिवक्ता उपस्थित होकर वकालतनामा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया।
लदार रायसिहंनगर ने अपनी रिर्पोट क्रमांक/भू.अ./2025/3748 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत की है कि मौके
ुसार मु.न. 78 के कि.न. 11/1 से 15/1 का दक्षिणी पासा व कि.न. 16 ता 20 का उतरी पासा रजीराम पुत्र
म कोम मेधवाल तथा कि.न. 16 ता 20 का दक्षिणी पासा पुष्पादेवी पत्नि गोपाल जाति मेधवाल के नाम तरभीम किया
की अभिशांषा की है। वकील वादीया ने दिनांक 10.06.2025 को प्रार्थना–पत्र मय राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया
राजीनामा के अनुसार तहसील उक्त वाद –पत्र डिक्री किया जावे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।

पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना गया । वकील पक्षकारान ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत
ामा के अनुसार तहसील रायसिहंनगर के चक 32 एन पी मु.न. 78 कि.न. 16/1, 17/1, 18/1, 19/1 में .174 है.
में व 20/1 में .173 है. भूमि पुष्पादेवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। परन्तु कब्जा काश्त के अनुसार वादिया
स कि.न. 16/2 , 17,/2 , 18/2, 19/2,प्रत्येक में .174 व 20/2 में .173 है. भूमि है। इसी चक के मु.न. 78 के
16/2 में .054, 17/2 में .079, 18/2 में 0.079, 19/2 में 0.079, 20/2 में 0.080 है.नहरी भूमि रजीराम पुत्र
ाम जाति मेधवाल निवासी 11 टी के के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में आमल दरामद है। परन्तु कब्जा काश्त के अनुसार
म के पास मौका पर कि.न. 16/1 मे .054, 17/1 में .079, 18/1 में 0.079, 19/1 में 0.079, 20/1 में 0.080 है.
है। तथा कैलाश चन्द के नाम से चक 32 एन पी के खाता नं. 147 क[illegible] के कि.नं. 21/2 में .198 है, व
नं. 228 का मु.न. 78 के कि.न. 21/1 में 0.030 है भूमि है। पटवारी ह[illegible] द्वारा [illegible] रकबा की तरमीम करते वक्त
न से तहसील रायसिंहनगर के चक 32 एन पी का मु.न. 78 के कि.न. 16/1, [illegible]1, 19/1 में .174 है.
में व 20/1 में .173 है. भूमि पुष्पादेवी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज क[illegible]ई है, जबकि मौका पर कब्जा
के अनुसार सही तरमीम कि.न. 16/2 , 17,/2 , 18/2, 19/2 प्रत्येक [illegible] 20/2 [illegible]173 है. भूमि
पटवारी ने सहवन से चक 32 एन पी के मु.न. 78 के कि.न. 16/2 में .054, 17/2 में .079, 18/2 में 0.079, 1[illegible]
079, 20/2 में 0.080 है. भूमि रजीराम पुत्र धन्नाराम जाती मेधवाल निवासी 1[illegible] के के नाम राजस्व रिकॉर्ड में
दी गई जबकि कि मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार सही तरमीम कि.न 16/1 में .054 , 17/1 में .079 , 18/1 में
, 19/1 में 0.079 , 20/1 में 0.080 है0 होनी थी। उक्त रकबा की तरमीम करते वक्त सहवन से कैलाश चन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:30:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

से चक 32 एन पी का खाता नं. 147 का मु.न. 78 के कि.न. 21/2 में 0.198 है. व खाता नं. 228 का मु.न. 78 के 21/1 में 0.030 है. भूमि कर दी है। जबकि मौका पर कब्जा के काश्त के अनुसार सही तरमीम सड़क पर चिपते 21/2 में .198 होनी थी व उसके उपर उतर की तरफ कि.न. 21/1 में .030है. होनी थी। वादीया का वाद–पत्र किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। तहसीलदार रायसिहंनगर ने अपनी रिपोर्ट में भी उक्तानुसार तरमीम जाने की अभिशांषा की है।

बहस पक्षकारान पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पक्षकारान के राजीनामा दिनांक 10.06.2025 किसी भी पक्षकारान ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया । पक्षकारान का राजीनामा 10.06.2025 के अनुसार वादीया का वाद–पत्र डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 10.06.2025 के वादीया वाद–पत्र निम्न से डिकी किया जाता है कि :– चक 32 एन पी मु.न. 78 कि.न. 16/1, 17/1, 18/1, 19/1 में .174 है. प्रत्येक में 1 में .173 है. के स्थान पर चक 32 एन पी के मु.न. 78 कि.न. 16/2 , 17,/2 , 18/2, 19/2, प्रत्येक में .174 व में .173 है. एवं रजीराम को चक 32 एनपी के मु.न. 78 के कि.न. 16/2 में .054, 17/2 में .079, 18/2 में 0.079, में 0.079, 20/2 में 0.080 है.नहरी के स्थान पर मु.न. 78 के कि.न. 16/1 में .054, 17/1 में .079, 18/1 मे 19/1 में 0.079, 20/1 में 0.080 है.नहरी भूमि की तरमीम की दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी की जाकर पालनार्थ तहसीलदार रायसिहंनगर जवाई जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक **19.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिहंनगर जिला श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 16:30:21 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

डिक्री व मुकदमें इत्वदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

CIVIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : सुभाष चन्द आर.ए.एस.

जीसीएमएस : 2025/00163

[..]. 05/2025

[..]या देवी पत्नि गोपाल राम जाति मेधवाल निवारी 11 टी के तहसील रायसिंहनगर [..]जला श्री गंगानगर।

–:वादीया

बनाम

[..]जी राम पुत्र धन्ना राम जाति मेधवाल निवारी 11 टी के तहसील रायसिंहनगर जिला [..]श्री गंगानगर राज0।

[..]स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

–:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत 136 राज0 काश्त0 अधि0

–:निर्णयः–

दिनांक :–19.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री जितेन्द्र कुमार सोनी, अधिवक्ता वादीगण, श्री [..]सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी पेश होकर हुकम दिया जाता है बरूवे राजीनामा दिनांक 10.06.2025 के अनुसार के वादीया [..]पत्र निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है चक 32 एन पी मु.न. 78 कि.न. 16/1, 17/1, 18/1, 19/1 में .174 है [..]क में व 20/1 में .173 है. के स्थान पर चक 32 एन पी के मु.न. 78 कि.न. 16/2, 17,/2, 18/2, 19/2 [..]क में .174 व 20/2 में .173 है. एवं रजीराम को चक 32 एनपी के मु.न. 78 के कि.न. 16/2 में .054, 17/2 में .079, [..]/2 में 0.079, 19/2 में 0.079, 20/2 में 0.080 है.नहरी भूमि के स्थान पर मु.न. 78 के कि.न. 16/1 में .054, 17/1 में [..] 18/1 मे 0.079, 19/1 में 0.079, 20/1 में 0.080 है.नहरी भूमि की तरमीम की दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये [..] है इसी आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

डिक्री आज दिनांक 19.06.2025 को जारी की गई।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

दिनांकः–23/6/25

क्रमांकः– रीडर/2025/856

प्रतिलिपिः–

1. तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 15:30:21 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner